

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-1/2023/

लखनऊ, दिनांक-०९ जून, 2023

## :::: नियुक्ति पत्र ::::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1701/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22टी०सी०-II, दिनांक-17 अप्रैल, 2023 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक 24.05.2023 को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार 01 पुरुष अभ्यर्थी को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रु० 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैं:-

### पुरुष अभ्यर्थी

| S.No | Applicant Name   | Applicant Father Name | Applicant Category | Allotted Medical College  |
|------|------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| 1    | SAJAUDDIN ANSARI | LATE. NIJAMUDDIN      | General            | S.N. MEDICAL COLLEGE AGRA |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
  - यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
  - नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
  - उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परिवीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- (2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-
- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
  - अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
  5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
  6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
  7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

संख्या- एम0ई0-1/2023/ 2038-46

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
  - 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।
  - 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
  - 4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।
  - 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, आगरा को अवगत कराने का कष्ट करें।
  - 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी आगरा
  - 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
  - 8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
  - 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।
- संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-1/2023/

लखनऊ, दिनांक-09 जून, 2023

## :::: नियुक्ति पत्र :::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1701/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22टी०सी०-II, दिनांक-17 अप्रैल, 2023 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक 24.05.2023 को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार **01 महिला अभ्यर्थी** को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रु० 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैं:-

### **महिला अभ्यर्थी**

| S.No | Applicant Name | Applicant Father Name | Applicant Category | Allotted Medical College    |
|------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1    | NEETU          | OM PAL                | SC                 | LLRM MEDICAL COLLEGE MEERUT |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
  - यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
  - नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
  - उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परिवीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- (2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-
- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
  - अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।

4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।

6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।

7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।

(3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।

(4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

(5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

( किंजल सिंह )

महानिदेशक

संख्या- एम0ई0-1/2023/2048-56

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।

3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।

4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।

5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, मेरठ को अवगत कराने का कष्ट करें।

6- वरिष्ठ कोषाधिकारी मेरठ

7- मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।

8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करे।

9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

( किंजल सिंह )

महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-1/2023/

लखनऊ, दिनांक-09 जून, 2023

## :::: नियुक्ति पत्र ::::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1701/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22टी०सी०-II, दिनांक-17 अप्रैल, 2023 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक 24.05.2023 को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार 01 महिला अभ्यर्थी को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू० 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैं:-

### महिला अभ्यर्थी

| S.No | Applicant Name | Applicant Father Name | Applicant Category | Allotted Medical College    |
|------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1    | RAVINA         | KISHAN PAL SINGH      | SC                 | LLRM MEDICAL COLLEGE MEERUT |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
  - यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
  - नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
  - उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- (2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-

- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।

- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

संख्या— एम0ई0—1/2023/2058-66

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

- 1— महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2— प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग—एक।
- 3— सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 4— प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।
- 5— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, मेरठ को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6— वरिष्ठ कोषाधिकारी मेरठ
- 7— मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 8— डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करे।
- 9— सम्बन्धित अभ्यर्थी।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-1/2023/

लखनऊ, दिनांक-०९ जून, 2023

## :::: नियुक्ति पत्र ::::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1701/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22टी०सी०-II, दिनांक-17 अप्रैल, 2023 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक 24.05.2023 को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार 01 महिला अभ्यर्थी को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रु० 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैं:-

### महिला अभ्यर्थी

| S.No | Applicant Name | Applicant Father Name | Applicant Category | Allotted Medical College    |
|------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1    | PURNIMA        | VEERSEN               | SC                 | LLRM MEDICAL COLLEGE MEERUT |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
  - यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
  - नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
  - उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- (2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-
- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
  - अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
  5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
  6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
  7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

संख्या- एम0ई0-1/2023/2068-76

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
  - 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।
  - 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
  - 4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।
  - 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, मेरठ को अवगत कराने का कष्ट करें।
  - 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी मेरठ
  - 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
  - 8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करे।
  - 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।
- संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-1/2023/

लखनऊ, दिनांक-09 जून, 2023

## :::: नियुक्ति पत्र ::::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1701/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22टी०सी०-II, दिनांक-17 अप्रैल, 2023 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक 24.05.2023 को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार 01 महिला अभ्यर्थी को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू० 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैं:-

### महिला अभ्यर्थी

| S.No | Applicant Name | Applicant Father Name | Applicant Category | Allotted Medical College  |
|------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| 1    | SANGEETA       | RAM LAL               | General            | S.N. MEDICAL COLLEGE AGRA |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
  - यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
  - नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
  - उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परिवीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- (2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-
- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
  - अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
  5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
  6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
  7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

संख्या- एम0ई0-1/2023/ 2078-86

तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।
- 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, आगरा को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी आगरा
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
- 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-१/२०२३/

लखनऊ, दिनांक-०९ जून, २०२३

## :::: नियुक्ति पत्र ::::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-१७०१/०७/स्टाफ नर्स/एस-६/२०२१-२२टी०सी०-II, दिनांक-१७ अप्रैल, २०२३ के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक २४.०५.२०२३ को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार ०१ महिला अभ्यर्थी को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू० ४४९००-१४२४०० (लेवल-७) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैं:-

### महिला अभ्यर्थी

| S.No | Applicant Name | Applicant Father Name  | Applicant Category | Allotted Medical College  |
|------|----------------|------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1    | SAPNA NELSON   | LATE. MR. NELSON DOYLE | General            | S.N. MEDICAL COLLEGE AGRA |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
  - यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-३२६८/२०२२ प्रज्ञा व ४ अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-१८१५/२०२२ प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-३३८४/२०२२ विजय कुमार व ५ अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व ३ अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-१४१९२/२०२२ विनीता पाल व २४ अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व ३ अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
  - नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
  - उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-२०१६ एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परिवीक्षा नियमावली के नियम-४ के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- (२) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-
- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
  - अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
  5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
  6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
  7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

संख्या- एम0ई0-1/2023/2088-96 तददिनांक।  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
  - 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।
  - 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
  - 4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।
  - 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, आगरा को अवगत कराने का कष्ट करें।
  - 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी आगरा
  - 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
  - 8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
  - 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।
- संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-1/2023/

लखनऊ, दिनांक-09 जून, 2023

## :::: नियुक्ति पत्र ::::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1701/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22टी०सी०-II, दिनांक-17 अप्रैल, 2023 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक 24.05.2023 को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार **01 महिला अभ्यर्थी** को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू० 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से **राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा** में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैं:-

### **महिला अभ्यर्थी**

| S.No | Applicant Name | Applicant Father Name | Applicant Category | Allotted Medical College  |
|------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| 1    | MEGHA KUMARI   | RAM SINGH             | OBC                | S.N. MEDICAL COLLEGE AGRA |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
  - यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
  - नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
  - उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परिवीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- (2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-

- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
  5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
  6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
  7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

संख्या- एम0ई0-1/2023/2098-2106 तद्दिनांक।  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
  - 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।
  - 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
  - 4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।
  - 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, आगरा को अवगत कराने का कष्ट करें।
  - 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी आगरा
  - 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
  - 8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
  - 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।
- संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-1/2023/

लखनऊ, दिनांक-09 जून, 2023

## :::: नियुक्ति पत्र ::::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1701/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22 टी०सी०-II, दिनांक-17 अप्रैल, 2023 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक 24.05.2023 को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार 01 महिला अभ्यर्थी को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रु० 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैं:-

### महिला अभ्यर्थी

| S.No | Applicant Name | Applicant Father Name | Applicant Category | Allotted Medical College    |
|------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1    | ANJALI         | SURESH KUMAR          | SC                 | LLRM MEDICAL COLLEGE MEERUT |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
  - यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
  - नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
  - उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परिवीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- (2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-
- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
  - अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
  5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
  6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
  7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

संख्या- एम0ई0-1/2023/2108-2116

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
  - 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।
  - 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
  - 4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।
  - 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, मेरठ को अवगत कराने का कष्ट करें।
  - 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी मेरठ
  - 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
  - 8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करे।
  - 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।
- संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-1/2023/

लखनऊ, दिनांक-०९ जून, 2023

## :::: नियुक्ति पत्र ::::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1701/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22टी०सी०-II, दिनांक-17 अप्रैल, 2023 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक 24.05.2023 को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार 01 महिला अभ्यर्थी को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू० 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैं:-

### महिला अभ्यर्थी

| S.No | Applicant Name | Applicant Father Name   | Applicant Category | Allotted Medical College  |
|------|----------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1    | MONIKA JANGIR  | ROHITASHWA KUMAR JANGIR | General            | S.N. MEDICAL COLLEGE AGRA |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
  - यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
  - नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
  - उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- (2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-
- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
  - अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
  5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
  6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
  7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

( किंजल सिंह )

महानिदेशक

संख्या- एम0ई0-1/2023/2118-2126

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
  - 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।
  - 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
  - 4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, **आगरा** को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।
  - 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, **आगरा** को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, **आगरा** को अवगत कराने का कष्ट करें।
  - 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी **आगरा**
  - 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, **आगरा** को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
  - 8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
  - 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।
- संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

( किंजल सिंह )

महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-1/2023/

लखनऊ, दिनांक-09 जून, 2023

## :::: नियुक्ति पत्र ::::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1701/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22टी०सी०-II, दिनांक-17 अप्रैल, 2023 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक 24.05.2023 को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार 01 महिला अभ्यर्थी को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू० 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैं:-

### महिला अभ्यर्थी

| S.No | Applicant Name | Applicant Father Name | Applicant Category | Allotted Medical College    |
|------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1    | NIDHI          | HAMEED HUSSAIN        | General            | LLRM MEDICAL COLLEGE MEERUT |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
  - यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
  - नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
  - उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परिवीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- (2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-
- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
  - अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
  5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
  6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
  7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

संख्या— एम0ई0-1/2023/2128-2136

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: —

- 1— महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2— प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग—एक।
- 3— सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 4— प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।
- 5— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, मेरठ को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6— वरिष्ठ कोषाधिकारी मेरठ
- 7— मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 8— डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
- 9— सम्बन्धित अभ्यर्थी।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

## कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-1/2023/

लखनऊ, दिनांक-०९ जून, 2023

### :::: नियुक्ति पत्र ::::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1701/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22टी०सी०-II, दिनांक-17 अप्रैल, 2023 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक 24.05.2023 को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार **01 महिला अभ्यर्थी** को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रु० 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय मेडिकल कालेज, बांदा में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैं:-

### महिला अभ्यर्थी

| S.No | Applicant Name  | Applicant Father Name | Applicant Category | Allotted Medical College         |
|------|-----------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1    | PINKY PRAJAPATI | GOVIND PRJAPATI       | OBC                | GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE BANDA |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
  - यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
  - नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
  - उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परिवीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- (2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-

- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
  5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
  6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
  7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

संख्या— एम0ई0-1/2023/ 2138-2146

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
  - 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।
  - 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
  - 4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, बांदा को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।
  - 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बांदा को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, बांदा को अवगत कराने का कष्ट करें।
  - 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी बांदा
  - 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, बांदा को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
  - 8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
  - 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।
- संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-1/2023/

लखनऊ, दिनांक-०९ जून, 2023

## :::: नियुक्ति पत्र ::::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1701/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22टी०सी०-II, दिनांक-17 अप्रैल, 2023 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक 24.05.2023 को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार 01 महिला अभ्यर्थी को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू० 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैं:-

### महिला अभ्यर्थी

| S.No | Applicant Name         | Applicant Father Name | Applicant Category | Allotted Medical College       |
|------|------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|
| 1    | KUMARI PRIYANSHI GUPTA | ANIL KUMAR GUPTA      | General            | GSVM MEDICAL COLLEGE<br>KANPUR |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
  - यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
  - नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
  - उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- (2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-
- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
  - अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
  5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
  6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
  7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

संख्या- एम0ई0-1/2023/ 2008-2016

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।
- 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, कानपुर को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी कानपुर
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करे।
- 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-1/2023/

लखनऊ, दिनांक-०९ जून, 2023

## :::: नियुक्ति पत्र ::::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1701/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22टी०सी०-II, दिनांक-17 अप्रैल, 2023 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक 24.05.2023 को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार 01 महिला अभ्यर्थी को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू० 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैं:-

### महिला अभ्यर्थी

| S.No | Applicant Name | Applicant Father Name | Applicant Category | Allotted Medical College  |
|------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| 1    | MONU           | SUGREEV               | General            | S.N. MEDICAL COLLEGE AGRA |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
  - यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
  - नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
  - उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परिवीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- (2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-

- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
  5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
  6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
  7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

संख्या- एम0ई0-1/2023/2018-2026

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
  - 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।
  - 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
  - 4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।
  - 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, आगरा को अवगत कराने का कष्ट करें।
  - 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी आगरा
  - 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
  - 8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करे।
  - 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।
- संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-1/2023/

लखनऊ, दिनांक-09 जून, 2023

## :::: नियुक्ति पत्र ::::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1701/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22टी०सी०-II, दिनांक-17 अप्रैल, 2023 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक 24.05.2023 को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार 01 महिला अभ्यर्थी को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू० 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैं:-

### महिला अभ्यर्थी

| S.No | Applicant Name | Applicant Father Name | Applicant Category | Allotted Medical College  |
|------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| 1    | RAVEENA PAL    | BAIJNATH SINGH PAL    | OBC                | S.N. MEDICAL COLLEGE AGRA |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
  - यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
  - नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
  - उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परिवीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- (2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-

- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
  5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
  6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
  7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

संख्या- एम0ई0-1/2023/ 2028-36

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।
- 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, आगरा को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी आगरा
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करे।
- 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-1 / 2023 /

लखनऊ, दिनांक-09 जून, 2023

## :::: नियुक्ति पत्र ::::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1701/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22टी०सी०-II, दिनांक-17 अप्रैल, 2023 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक 24.05.2023 को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार 01 महिला अभ्यर्थी को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रु० 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

### महिला अभ्यर्थी

| S.No | Applicant Name | Applicant Father Name | Applicant Category | Allotted Medical College    |
|------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1    | DIKSHA MINOCHA | SANJAY MINOCHA        | General            | LLRM MEDICAL COLLEGE MEERUT |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
  - यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
  - नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
  - उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परीवीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परीवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- (2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-

- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
  5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
  6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
  7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

संख्या— एम0ई0—1/2023/1888-96

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: —

- 1— महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2— प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग—एक।
- 3— सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 4— प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।
- 5— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, मेरठ को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6— वरिष्ठ कोषाधिकारी मेरठ
- 7— मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 8— डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करे।
- 9— सम्बन्धित अभ्यर्थी।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-1/2023/

लखनऊ, दिनांक-०९ जून, 2023

## :::: नियुक्ति पत्र ::::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1701/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22टी०सी०-II, दिनांक-17 अप्रैल, 2023 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक 24.05.2023 को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार 01 महिला अभ्यर्थी को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू० 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैं:-

### महिला अभ्यर्थी

| S.No | Applicant Name  | Applicant Father Name | Applicant Category | Allotted Medical College              |
|------|-----------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 1    | ANURADHA GURUNG | DURGA SINGH GURUNG    | General            | GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE SAHARANPUR |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
  - यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
  - नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
  - उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- (2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-
- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
  - अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।

4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।

6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।

7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।

(3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।

(4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

(5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

( किंजल सिंह )

महानिदेशक

संख्या- एम0ई0-1/2023/1898-1906

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।

3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।

4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।

5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, सहारनपुर को अवगत कराने का कष्ट करें।

6- वरिष्ठ कोषाधिकारी सहारनपुर

7- मुख्य चिकित्साधिकारी, सहारनपुर को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।

8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करे।

9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

( किंजल सिंह )

महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-1/2023/

लखनऊ, दिनांक-०९ जून, 2023

## :::: नियुक्ति पत्र ::::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1701/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22टी०सी०-II, दिनांक-17 अप्रैल, 2023 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक 24.05.2023 को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार 01 महिला अभ्यर्थी को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू० 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैं:-

### महिला अभ्यर्थी

| S.No | Applicant Name | Applicant Father Name | Applicant Category | Allotted Medical College              |
|------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 1    | SEEMA          | BIRENDRA PRASAD BHATT | General            | GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE SAHARANPUR |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
  - यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
  - नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
  - उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- (2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-

- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
  5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
  6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
  7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

( किंजल सिंह )

महानिदेशक

संख्या- एम0ई0-1/2023/1908-16

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।
- 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, सहारनपुर को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी सहारनपुर
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, सहारनपुर को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करे।
- 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

( किंजल सिंह )

महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-1/2023/

लखनऊ, दिनांक-09 जून, 2023

## :::: नियुक्ति पत्र :::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1701/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22टी०सी०-II, दिनांक-17 अप्रैल, 2023 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक 24.05.2023 को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार **01 महिला अभ्यर्थी** को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रु० 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से **राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ** में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैं:-

### **महिला अभ्यर्थी**

| S.No | Applicant Name   | Applicant Father Name | Applicant Category | Allotted Medical College    |
|------|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1    | PRIYANKA CHAUHAN | SATENDRA SINGH        | General            | LLRM MEDICAL COLLEGE MEERUT |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
  - यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
  - नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
  - उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परिवीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- (2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-

- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
  5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
  6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
  7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

संख्या— एम0ई0—1/2023/1918-26

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: —

- 1— महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2— प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग—एक।
- 3— सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 4— प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।
- 5— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, मेरठ को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6— वरिष्ठ कोषाधिकारी मेरठ
- 7— मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 8— डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करे।
- 9— सम्बन्धित अभ्यर्थी।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-1 / 2023 /

लखनऊ, दिनांक-09 जून, 2023

## :::: नियुक्ति पत्र ::::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1701/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22टी०सी०-II, दिनांक-17 अप्रैल, 2023 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक 24.05.2023 को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार 01 महिला अभ्यर्थी को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू० 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूं में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैं:-

### महिला अभ्यर्थी

| S.No | Applicant Name | Applicant Father Name | Applicant Category | Allotted Medical College          |
|------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1    | PRIYANKA MEHTA | SUNDER SINGH MEHTA    | General            | GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE BADAUN |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
- यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
- सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
- नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
- उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परिवीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
- सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।

(2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-

- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
  5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
  6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
  7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

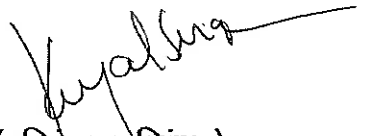
संख्या- एम0ई0-1/2023/1928-36

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, **बदायूं** को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।
- 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, **बदायूं** को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, **बदायूं** को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी **बदायूं**
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, **बदायूं** को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
- 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

  
( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-1/2023/

लखनऊ, दिनांक-09 जून, 2023

## :::: नियुक्ति पत्र ::::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1701/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22टी०सी०-II, दिनांक-17 अप्रैल, 2023 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक 24.05.2023 को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार **01 महिला अभ्यर्थी** को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू० 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से **राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर** में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैं:-

### महिला अभ्यर्थी

| S.No | Applicant Name | Applicant Father Name | Applicant Category | Allotted Medical College       |
|------|----------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|
| 1    | DIVYA RAI      | MANI SHANKAR RAI      | General            | GSVM MEDICAL COLLEGE<br>KANPUR |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
- यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
- सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
- नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
- उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परिवीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
- सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।

(2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-

- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
  5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
  6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
  7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

( किंजल सिंह )

महानिदेशक

संख्या- एम0ई0-1/2023/1938-46

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।
- 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, कानपुर को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी कानपुर
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
- 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

( किंजल सिंह )

महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-1/2023/

लखनऊ, दिनांक-09 जून, 2023

## :::: नियुक्ति पत्र :::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1701/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22टी०सी०-II, दिनांक-17 अप्रैल, 2023 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक 24.05.2023 को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार **01 महिला अभ्यर्थी** को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू० 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से **राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर** में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैं:-

### **महिला अभ्यर्थी**

| S.No | Applicant Name | Applicant Father Name | Applicant Category | Allotted Medical College              |
|------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 1    | DEEKSHA BHATT  | GIRISH PRASAD BHATT   | General            | GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE SAHARANPUR |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
  - यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
  - नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
  - उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परिवीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- (2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-

- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
  5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
  6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
  7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

( किंजल सिंह )

महानिदेशक

संख्या- एम0ई0-1/2023/1948-56

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, **सहारनपुर** को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।
- 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, **सहारनपुर** को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, **सहारनपुर** को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी **सहारनपुर**
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, **सहारनपुर** को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करे।
- 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

( किंजल सिंह )

महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छात्र तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-1/2023/

लखनऊ, दिनांक-०९ जून, 2023

## :::: नियुक्ति पत्र ::::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1701/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22टी०सी०-II, दिनांक-17 अप्रैल, 2023 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक 24.05.2023 को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार **01 महिला अभ्यर्थी** को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू० 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से **राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा** में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैं:-

### महिला अभ्यर्थी

| S.No | Applicant Name | Applicant Father Name | Applicant Category | Allotted Medical College  |
|------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| 1    | MONIKA         | RAJ KUMAR             | General            | S.N. MEDICAL COLLEGE AGRA |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
  - यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
  - नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
  - उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परिवीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- (2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-

- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
  5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
  6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
  7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

संख्या- एम0ई0-1/2023/1958-66

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
  - 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।
  - 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
  - 4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।
  - 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, आगरा को अवगत कराने का कष्ट करें।
  - 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी आगरा
  - 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
  - 8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करे।
  - 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।
- संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-1 / 2022/

लखनऊ, दिनांक-09 जून, 2023

## :::: नियुक्ति पत्र ::::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1701/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22टी०सी०-II, दिनांक-17 अप्रैल, 2023 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक 24.05.2023 को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार **01 महिला अभ्यर्थी** को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू० 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से **राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा** में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैं:-

### महिला अभ्यर्थी

| S.No | Applicant Name | Applicant Father Name | Applicant Category | Allotted Medical College  |
|------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| 1    | CHETNA SAINI   | LALCHAND SAINI        | General            | S.N. MEDICAL COLLEGE AGRA |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
  - यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
  - नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
  - उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परिवीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- (2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-

- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
  5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
  6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
  7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

( किंजल सिंह )

महानिदेशक

संख्या- एम0ई0-1/2023/1968-76

तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।
- 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, आगरा को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी आगरा
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करे।
- 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

( किंजल सिंह )

महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-1/2023/

लखनऊ, दिनांक-09 जून, 2023

## :::: नियुक्ति पत्र ::::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1701/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22टी०सी०-II, दिनांक-17 अप्रैल, 2023 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक 24.05.2023 को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार 01 महिला अभ्यर्थी को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रु० 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैं:-

### महिला अभ्यर्थी

| S.No | Applicant Name | Applicant Father Name | Applicant Category | Allotted Medical College    |
|------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1    | PUJA RANI      | RAMESH KUMAR          | General            | LLRM MEDICAL COLLEGE MEERUT |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
  - यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
  - नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
  - उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परिवीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- (2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-

- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
  5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
  6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
  7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

( किंजल सिंह )

महानिदेशक

संख्या— एम0ई0—1/2023/1978-86

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: —

- 1— महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
  - 2— प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग—एक।
  - 3— सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
  - 4— प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।
  - 5— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, मेरठ को अवगत कराने का कष्ट करें।
  - 6— वरिष्ठ कोषाधिकारी मेरठ
  - 7— मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
  - 8— डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करे।
  - 9— सम्बन्धित अभ्यर्थी।
- संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-1/2023/

लखनऊ, दिनांक-०९ जून, 2023

## :::: नियुक्ति पत्र ::::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1701/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22टी०सी०-II, दिनांक-17 अप्रैल, 2023 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक 24.05.2023 को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार 01 महिला अभ्यर्थी को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू० 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से हृदय रोग संस्थान, कानपुर में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

### महिला अभ्यर्थी

| S.No | Applicant Name | Applicant Father Name | Applicant Category | Allotted Medical College |
|------|----------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|
| 1    | CHANDA KUMARI  | KAMAL KISHORE PRASAD  | General            | LPS CARDIOLOGY KANPUR    |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
  - यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
  - नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
  - उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परीवीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परीवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- (2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-
- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
  - अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।
  - गोपनीयता का प्रमाण पत्र।

4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

संख्या— एम0ई0-1/2023/ 2148-56

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: —

- 1— महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2— प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग—एक।
- 3— सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 4— प्रधानाचार्य, हृदय रोग संस्थान, कानपुर को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।
- 5— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6— वरिष्ठ कोषाधिकारी कानपुर
- 7— मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 8— डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
- 9— सम्बन्धित अभ्यर्थी।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-1/2023/

लखनऊ, दिनांक-०९ जून, 2023

## :::: नियुक्ति पत्र ::::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1701/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22टी०सी०-II, दिनांक-17 अप्रैल, 2023 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक 24.05.2023 को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार **01 महिला अभ्यर्थी** को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रु० 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैं:-

### महिला अभ्यर्थी

| S.No | Applicant Name | Applicant Father Name | Applicant Category | Allotted Medical College  |
|------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| 1    | DIKSHA SENGHER | BHUPENDRA SINGH       | General            | S.N. MEDICAL COLLEGE AGRA |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
- यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
- सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
- नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
- उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परिवीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
- सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।

(2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-

- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
  5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
  6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
  7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

संख्या- एम0ई0-1/2023/1988-96

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
  - 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।
  - 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
  - 4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।
  - 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, आगरा को अवगत कराने का कष्ट करें।
  - 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी आगरा।
  - 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
  - 8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
  - 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।
- संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-1/2023/

लखनऊ, दिनांक-०९ जून, 2023

## :::: नियुक्ति पत्र ::::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1701/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22टी०सी०-II, दिनांक-17 अप्रैल, 2023 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक 24.05.2023 को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार 01 महिला अभ्यर्थी को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू० 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैं:-

### महिला अभ्यर्थी

| S.No | Applicant Name | Applicant Father Name | Applicant Category | Allotted Medical College  |
|------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| 1    | BHARTI VERMA   | SATYA PRAKASH         | General            | S.N. MEDICAL COLLEGE AGRA |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
- यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
- सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
- नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
- उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परिवीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
- सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।

(2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-

- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
  5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
  6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
  7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

संख्या- एम0ई0-1/2023/1998-2006

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।
- 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, आगरा को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी आगरा
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
- 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-1/2023/

लखनऊ, दिनांक-०९ जून, 2023

## :::: नियुक्ति पत्र ::::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1701/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22टी०सी०-II, दिनांक-17 अप्रैल, 2023 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक 24.05.2023 को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार 01 महिला अभ्यर्थी को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रु० 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैं:-

### महिला अभ्यर्थी

| S.No | Applicant Name | Applicant Father Name | Applicant Category | Allotted Medical College       |
|------|----------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|
| 1    | ANJALI ARORA   | PRAVEEN KUMAR ARORA   | General            | LLRM MEDICAL COLLEGE<br>MEERUT |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
  - यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
  - नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
  - उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परिवीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- (2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-

- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
  5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
  6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
  7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

संख्या- एम0ई0-1/2023/1788-96

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
  - 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।
  - 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
  - 4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।
  - 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, मेरठ को अवगत कराने का कष्ट करें।
  - 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी मेरठ
  - 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
  - 8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
  - 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।
- संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-1/2023/

लखनऊ, दिनांक-०९ जून, 2023

## :::: नियुक्ति पत्र ::::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1701/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22टी०सी०-II, दिनांक-17 अप्रैल, 2023 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक 24.05.2023 को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार 01 महिला अभ्यर्थी को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू० 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैं:-

### महिला अभ्यर्थी

| S.No | Applicant Name | Applicant Father Name | Applicant Category | Allotted Medical College    |
|------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1    | RASHMI         | AJAY PRASAD           | General            | LLRM MEDICAL COLLEGE MEERUT |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
  - यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
  - नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
  - उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- (2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-

- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
  5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
  6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
  7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

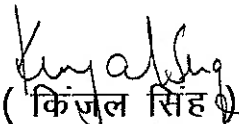
संख्या- एम0ई0-1/2023/1798-1806

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।
- 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, मेरठ को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी मेरठ
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
- 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

  
( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-1/2023/

लखनऊ, दिनांक-०९ जून, 2023

## :::: नियुक्ति पत्र ::::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1701/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22टी०सी०-II, दिनांक-17 अप्रैल, 2023 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक 24.05.2023 को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार 01 महिला अभ्यर्थी को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू० 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय मेडिकल कालेज, झाँसी में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैं:-

### महिला अभ्यर्थी

| S.No | Applicant Name | Applicant Father Name | Applicant Category | Allotted Medical College   |
|------|----------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|
| 1    | UMA KUSHWAHA   | GHANA RAM KUSHWAHA    | OBC                | MLB MEDICAL COLLEGE JHANSI |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
  - यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
  - नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
  - उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परिवीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- (2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-

- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
  5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
  6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
  7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

संख्या- एम0ई0-1/2023/1808-16

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
  - 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।
  - 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
  - 4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, झाँसी को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।
  - 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, झाँसी को अवगत कराने का कष्ट करें।
  - 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी झाँसी
  - 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, झाँसी को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
  - 8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करे।
  - 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।
- संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-1/2023/1817

लखनऊ, दिनांक- ०५ जून, 2023

## :::: नियुक्ति पत्र ::::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1701/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22टी०सी०-II, दिनांक-17 अप्रैल, 2023 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक 24.05.2023 को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार 01 महिला अभ्यर्थी को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू० 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से हृदय रोग संस्थान, कानपुर में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

### महिला अभ्यर्थी

| S.No | Applicant Name    | Applicant Father Name | Applicant Category | Allotted Medical College |
|------|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|
| 1    | NEHA KUMARI SINGH | SURESH KUMAR SINGH    | General            | LPS CARDIOLOGY KANPUR    |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
  - यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
  - नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
  - उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- (2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-

- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।
- गोपनीयता का प्रमाण पत्र।

4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
  5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
  6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
  7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

संख्या— एम0ई0-1/2023/1818-26

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: —

- 1— महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2— प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग—एक।
- 3— सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 4— निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।
- 5— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6— वरिष्ठ कोषाधिकारी कानपुर
- 7— मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 8— डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
- 9— सम्बन्धित अभ्यर्थी।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)

संख्या-एम०ई०-१/२०२३/

लखनऊ, दिनांक-०९ जून, २०२३

## :::: नियुक्ति पत्र :::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-१७०१/०७/स्टाफ नर्स/एस-६/२०२१-२२टी०सी०-II, दिनांक-१७ अप्रैल, २०२३ के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक २४.०५.२०२३ को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार ०१ महिला अभ्यर्थी को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू० ४४९००-१४२४०० (लेवल-७) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

### महिला अभ्यर्थी

| S.No | Applicant Name | Applicant Father Name             | Applicant Category | Allotted Medical College    |
|------|----------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1    | JEEN ANDREWS   | KANDAMKULATHY KOCHUVAREED ANDREWS | General            | LLRM MEDICAL COLLEGE MEERUT |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
  - यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-३२६८/२०२२ प्रज्ञा व ४ अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-१८१५/२०२२ प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-३३८४/२०२२ विजय कुमार व ५ अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व ३ अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-१४१९२/२०२२ विनीता पाल व २४ अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व ३ अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
  - नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
  - उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-२०१६ एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परीक्षा नियमावली के नियम-४ के अन्तर्गत परीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- (२) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-

- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
  5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
  6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
  7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

संख्या— एम0ई0-1/2023/1828-36

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: —

- 1— महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
  - 2— प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग—एक।
  - 3— सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
  - 4— प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।
  - 5— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, मेरठ को अवगत कराने का कष्ट करें।
  - 6— वरिष्ठ कोषाधिकारी मेरठ
  - 7— मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
  - 8— डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
  - 9— सम्बन्धित अभ्यर्थी।
- संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

  
( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-1/2023/

लखनऊ, दिनांक-०९ जून, 2023

## :::: नियुक्ति पत्र ::::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1701/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22टी०सी०-II, दिनांक-17 अप्रैल, 2023 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक 24.05.2023 को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार **01 महिला अभ्यर्थी** को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू० 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

### महिला अभ्यर्थी

| S.No | Applicant Name  | Applicant Father Name | Applicant Category | Allotted Medical College      |
|------|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1    | ANKITA KUSHWAHA | RAM NARESH SINGH      | OBC                | MLN MEDICAL COLLEGE PRAYAGRAJ |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
  - यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
  - नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
  - उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परिवीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- (2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-

- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
  5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
  6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
  7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने का अनुमति नहीं होगी।

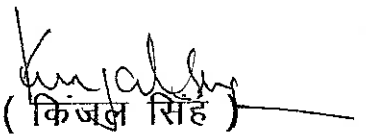
( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

संख्या- एम0ई0-1/2023/1838-46

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
  - 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।
  - 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
  - 4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थ के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।
  - 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, प्रयागराज को अवगत कराने का कष्ट करें।
  - 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी प्रयागराज
  - 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
  - 8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करे।
  - 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।
- संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

  
( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-1/2023/

लखनऊ, दिनांक-09 जून, 2023

## :::: नियुक्ति पत्र ::::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1701/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22टी०सी०-II, दिनांक-17 अप्रैल, 2023 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक 24.05.2023 को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार 01 महिला अभ्यर्थी को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू० 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैं:-

### महिला अभ्यर्थी

| S.No | Applicant Name | Applicant Father Name | Applicant Category | Allotted Medical College    |
|------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1    | SAHIBA KHATOON | HANISH                | OBC                | LLRM MEDICAL COLLEGE MEERUT |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
- यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
- सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
- नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
- उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परिवीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
- सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।

(2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-

- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
  5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
  6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
  7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

( किंजल सिंह )

महानिदेशक

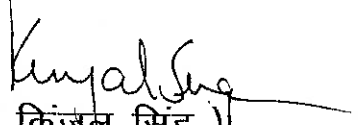
संख्या- एम0ई0-1/2023/1848-56

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।
- 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, मेरठ को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी मेरठ
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करे।
- 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

  
( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-1/2023/

लखनऊ, दिनांक-०९ जून, 2023

## :::: नियुक्ति पत्र ::::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1701/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22टी०सी०-II, दिनांक-17 अप्रैल, 2023 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक 24.05.2023 को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार **01 महिला अभ्यर्थी** को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रु० 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से **राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा** में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

### महिला अभ्यर्थी

| S.No | Applicant Name | Applicant Father Name | Applicant Category | Allotted Medical College  |
|------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| 1    | RUPA KUMARI    | BHOLU RAM             | General            | S.N. MEDICAL COLLEGE AGRA |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
- यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
- सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
- नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
- उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
- सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।

(2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-

- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
  5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
  6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
  7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

( किंजल सिंह )

महानिदेशक

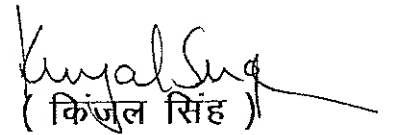
संख्या- एम0ई0-1/2023/1858-66

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।
- 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, आगरा को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी आगरा
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
- 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

  
( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-1/2023/

लखनऊ, दिनांक-०९ जून, 2023

## :::: नियुक्ति पत्र ::::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1701/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22टी०सी०-II, दिनांक-17 अप्रैल, 2023 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक 24.05.2023 को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार **01 महिला अभ्यर्थी** को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू० 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैं:-

### महिला अभ्यर्थी

| S.No | Applicant Name | Applicant Father Name | Applicant Category | Allotted Medical College    |
|------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1    | RASHI YADAV    | DHAN PRAKASH          | General            | LLRM MEDICAL COLLEGE MEERUT |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
- यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
- सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
- नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
- उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परिवीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
- सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।

(2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-

- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
  5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
  6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदव्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर।
  7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

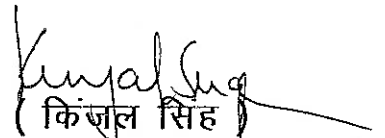
संख्या- एम0ई0-1/2023/1868-76

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।
- 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, मेरठ को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी मेरठ
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करे।
- 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

  
( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-1/2023/

लखनऊ, दिनांक-09 जून, 2023

## :::: नियुक्ति पत्र ::::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1701/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22टी०सी०-II, दिनांक-17 अप्रैल, 2023 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक 24.05.2023 को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार 01 महिला अभ्यर्थी को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू० 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैं:-

### महिला अभ्यर्थी

| S.No | Applicant Name | Applicant Father Name | Applicant Category | Allotted Medical College  |
|------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| 1    | RANJANA KURMI  | SARVAN KURMI          | General            | S.N. MEDICAL COLLEGE AGRA |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
- यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
- सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
- नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
- उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परिवीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
- सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।

(2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-

- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
  5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
  6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
  7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

( किंजल सिंह )

महानिदेशक

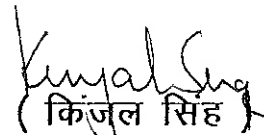
संख्या- एम0ई0-1/2023/1878-86

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।
- 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, आगरा को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी आगरा
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करे।
- 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

  
( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-1/2023/

लखनऊ, दिनांक-09 जून, 2023

## :::: नियुक्ति पत्र ::::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1701/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22टी०सी०-II, दिनांक-17 अप्रैल, 2023 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक 24.05.2023 को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार 01 महिला अभ्यर्थी को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू० 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैं:-

### महिला अभ्यर्थी

| S.No | Applicant Name | Applicant Father Name | Applicant Category | Allotted Medical College  |
|------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| 1    | LALITESH GUPTA | VINOD KUMAR GUPTA     | General            | S.N. MEDICAL COLLEGE AGRA |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
  - यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
  - नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
  - उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परिवीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- (2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-

- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
  5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
  6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
  7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

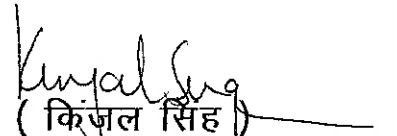
संख्या- एम0ई0-1/2023/ 1747-55

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।
- 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, आगरा को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी आगरा
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
- 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

  
( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-1/2023/

लखनऊ, दिनांक-०९ जून, 2023

## :::: नियुक्ति पत्र ::::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1701/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22टी०सी०-II, दिनांक-17 अप्रैल, 2023 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक 24.05.2023 को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार **01 महिला अभ्यर्थी** को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू० 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैं:-

### महिला अभ्यर्थी

| S.No | Applicant Name   | Applicant Father Name | Applicant Category | Allotted Medical College      |
|------|------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1    | JYOTI SRIVASTAVA | A K SRIVASTAVA        | General            | MLN MEDICAL COLLEGE PRAYAGRAJ |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
  - यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
  - नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
  - उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- (2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-

- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
  5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
  6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
  7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

संख्या- एम0ई0-1/2023/1757-65

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।
- 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, प्रयागराज को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी प्रयागराज
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करे।
- 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-१/२०२३/

लखनऊ, दिनांक-०९ जून, २०२३

## :::: नियुक्ति पत्र ::::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1701/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22टी०सी०-II, दिनांक-17 अप्रैल, 2023 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक 24.05.2023 को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार 01 महिला अभ्यर्थी को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू० 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

### महिला अभ्यर्थी

| S.No | Applicant Name  | Applicant Father Name | Applicant Category | Allotted Medical College              |
|------|-----------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 1    | KANCHAN CHAMOLI | RAMANANDA SEMWAL      | General            | GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE SAHARANPUR |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
  - यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
  - नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
  - उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परिवीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- (2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-

- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
  5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
  6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
  7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

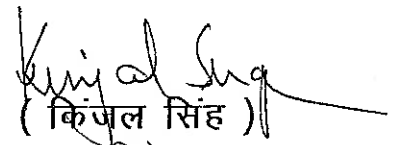
संख्या— एम0ई0—1/2023/ 1768-76

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: —

- 1— महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2— प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग—एक।
- 3— सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 4— प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।
- 5— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, सहारनपुर को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6— वरिष्ठ कोषाधिकारी सहारनपुर
- 7— मुख्य चिकित्साधिकारी, सहारनपुर को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 8— डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करे।
- 9— सम्बन्धित अभ्यर्थी।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

  
( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-1/2023/

लखनऊ, दिनांक-०9 जून, 2023

## :::: नियुक्ति पत्र ::::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1701/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22टी०सी०-II, दिनांक-17 अप्रैल, 2023 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक 24.05.2023 को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार 01 महिला अभ्यर्थी को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू० 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैं:-

### महिला अभ्यर्थी

| S.No | Applicant Name | Applicant Father Name | Applicant Category | Allotted Medical College  |
|------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| 1    | AKHIL SOLANKI  | B S SOLANKI           | General            | S.N. MEDICAL COLLEGE AGRA |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
  - यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
  - नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
  - उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- (2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-

- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
  5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
  6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
  7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

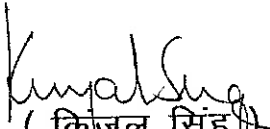
संख्या- एम0ई0-1/2023/1778-86

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।
- 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, आगरा को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी आगरा
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
- 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

  
( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-1/2023/

लखनऊ, दिनांक-09 जून, 2023

## :::: नियुक्ति पत्र ::::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1701/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22टी०सी०-II, दिनांक-17 अप्रैल, 2023 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक 24.05.2023 को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार 01 महिला अभ्यर्थी को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू० 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैं:-

### महिला अभ्यर्थी

| S.No | Applicant Name | Applicant Father Name | Applicant Category | Allotted Medical College  |
|------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| 1    | AMRITA SAINI   | RAM SWAROOP SAINI     | General            | S.N. MEDICAL COLLEGE AGRA |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
  - यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
  - नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
  - उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परिवीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- (2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-

- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
  5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
  6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
  7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

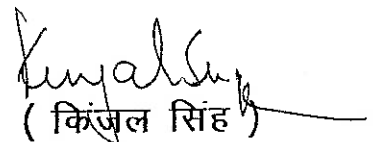
( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

संख्या- एम0ई0-1/2023/1657-65

तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
  - 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।
  - 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
  - 4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।
  - 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, आगरा को अवगत कराने का कष्ट करें।
  - 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी आगरा
  - 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
  - 8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
  - 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।
- संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

  
( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-1/2023/

लखनऊ, दिनांक-०९ जून, 2023

## :::: नियुक्ति पत्र :::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1701/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22टी०सी०-II, दिनांक-17 अप्रैल, 2023 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक 24.05.2023 को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार 01 महिला अभ्यर्थी को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू० 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

### महिला अभ्यर्थी

| S.No | Applicant Name      | Applicant Father Name | Applicant Category | Allotted Medical College  |
|------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| 1    | KAMLESH KUMARI NATH | KISHAN LAL NATH       | General            | S.N. MEDICAL COLLEGE AGRA |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
  - यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
  - नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
  - उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परिवीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- (2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-

- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
  5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
  6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
  7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

( किंजल सिंह )

महानिदेशक

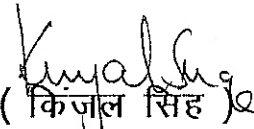
संख्या— एम0ई0-1/2023/1667-75

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: —

- 1— महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2— प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग—एक।
- 3— सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 4— प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।
- 5— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, आगरा को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6— वरिष्ठ कोषाधिकारी आगरा
- 7— मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 8— डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करे।
- 9— सम्बन्धित अभ्यर्थी।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

  
( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-1/2023/

लखनऊ, दिनांक-०९ जून, 2023

## :::: नियुक्ति पत्र ::::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1701/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22टी०सी०-II, दिनांक-17 अप्रैल, 2023 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक 24.05.2023 को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार **01 महिला अभ्यर्थी** को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू० 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैं:-

### महिला अभ्यर्थी

| S.No | Applicant Name | Applicant Father Name | Applicant Category | Allotted Medical College    |
|------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1    | TAMANNA DEVI   | BALAM RAM             | General            | LLRM MEDICAL COLLEGE MEERUT |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
  - यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
  - नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
  - उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परिवीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- (2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-

- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

( किंजल सिंह )

महानिदेशक

संख्या- एम0ई0-1/2023/1677-85

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।

3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।

4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।

5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, मेरठ को अवगत कराने का कष्ट करें।

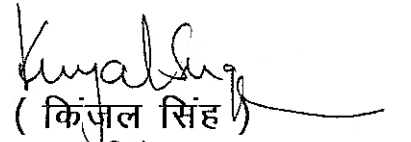
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी मेरठ

7- मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।

8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करे।

9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

  
( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-१/२०२३/

लखनऊ, दिनांक-०९ जून, २०२३

## :::: नियुक्ति पत्र ::::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-१७०१/०७/स्टाफ नर्स/एस-६/२०२१-२२टी०सी०-II, दिनांक-१७ अप्रैल, २०२३ के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक २४.०५.२०२३ को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार ०१ महिला अभ्यर्थी को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू० ४४९००-१४२४०० (लेवल-७) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैं:-

### महिला अभ्यर्थी

| S.No | Applicant Name | Applicant Father Name | Applicant Category | Allotted Medical College            |
|------|----------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1    | PREETI YADAV   | UDAY NARAYAN YADAV    | OBC                | GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE AZAMGARH |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
  - यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-३२६८/२०२२ प्रज्ञा व ४ अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-१८१५/२०२२ प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-३३८४/२०२२ विजय कुमार व ५ अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व ३ अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-१४१९२/२०२२ विनीता पाल व २४ अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व ३ अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
  - नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
  - उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-२०१६ एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परिवीक्षा नियमावली के नियम-४ के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- (२) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-

- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
  5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
  6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
  7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

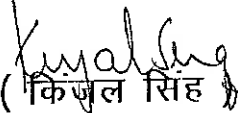
संख्या- एम0ई0-1/2023/1687-95

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।
- 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, आजमगढ़ को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी आजमगढ़
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
- 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

  
( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

लखनऊ, दिनांक-०९ जून, 2023

संख्या-एम०ई०-१/2023/

## :::: नियुक्ति पत्र ::::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1701/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22टी०सी०-II, दिनांक-17 अप्रैल, 2023 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक 24.05.2023 को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार 01 महिला अभ्यर्थी को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू० 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

### महिला अभ्यर्थी

| S.No | Applicant Name | Applicant Father Name | Applicant Category | Allotted Medical College    |
|------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1    | ISHA DEV       | BHUDEV SINGH          | SC                 | LLRM MEDICAL COLLEGE MEERUT |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
- यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
- सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
- नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
- उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
- सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।

(2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-

- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।
- गोपनीयता का प्रमाण पत्र।

4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।

(3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।

(4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

(5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

( किंजल सिंह )

महानिदेशक

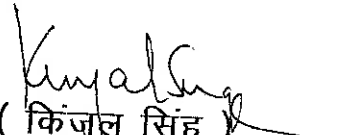
तददिनांक।

संख्या- एम0ई0-1/2023/1697-1705

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों को अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।
- 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, मेरठ को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी मेरठ
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करे।
- 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

  
( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-१/२०२३/

लखनऊ, दिनांक-०९ जून, २०२३

## :::: नियुक्ति पत्र ::::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-१७०१/०७/स्टाफ नर्स/एस-६/२०२१-२२टी०सी०-II, दिनांक-१७ अप्रैल, २०२३ के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक २४.०५.२०२३ को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार **०१ महिला अभ्यर्थी** को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू० ४४९००-१४२४०० (लेवल-७) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

### महिला अभ्यर्थी

| S.No | Applicant Name | Applicant Father Name | Applicant Category | Allotted Medical College    |
|------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1    | MADHU          | RAJ KUMAR             | General            | LLRM MEDICAL COLLEGE MEERUT |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
  - यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-३२६८/२०२२ प्रज्ञा व ४ अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-१८१५/२०२२ प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-३३८४/२०२२ विजय कुमार व ५ अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व ३ अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-१४१९२/२०२२ विनीता पाल व २४ अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व ३ अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
  - नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
  - उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-२०१६ एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परिवीक्षा नियमावली के नियम-४ के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- (२) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-
- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
  - अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
  5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
  6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
  7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

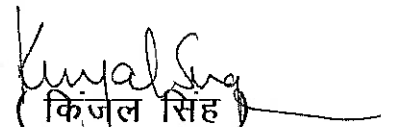
संख्या- एम0ई0-1/2023/1707-15

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।
- 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, मेरठ को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी मेरठ
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करे।
- 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

  
( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-१/२०२३/

लखनऊ, दिनांक-०९ जून, २०२३

## :::: नियुक्ति पत्र ::::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1701/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22टी०सी०-II, दिनांक-17 अप्रैल, 2023 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक 24.05.2023 को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार **01 महिला अभ्यर्थी** को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू० 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैं:-

### **महिला अभ्यर्थी**

| S.No | Applicant Name | Applicant Father Name | Applicant Category | Allotted Medical College      |
|------|----------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1    | BHAWANA SINGH  | BRAJESH KUMAR SINGH   | General            | MLN MEDICAL COLLEGE PRAYAGRAJ |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
  - यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
  - नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
  - उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- (2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-

- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
  5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
  6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
  7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

संख्या- एम0ई0-1/2023/1717-25

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।
- 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, प्रयागराज को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी प्रयागराज
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
- 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

  
( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-1/2023/

लखनऊ, दिनांक-०९ जून, 2023

## :::: नियुक्ति पत्र ::::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1701/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22टी०सी०-II, दिनांक-17 अप्रैल, 2023 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक 24.05.2023 को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार 01 महिला अभ्यर्थी को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रु० 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैं:-

### महिला अभ्यर्थी

| S.No | Applicant Name | Applicant Father Name | Applicant Category | Allotted Medical College      |
|------|----------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1    | PRIYANKA SINGH | CHANDRABHAN SINGH     | OBC                | MLN MEDICAL COLLEGE PRAYAGRAJ |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
  - यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
  - नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
  - उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परिवीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- (2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-

- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
  5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
  6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
  7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

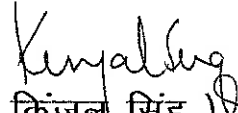
संख्या- एम0ई0-1/2023/1727-35

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।
- 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, प्रयागराज को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी प्रयागराज
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करे।
- 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

  
( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-१/२०२३/

लखनऊ, दिनांक-०९ जून, २०२३

## :::: नियुक्ति पत्र ::::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-१७०१/०७/स्टाफ नर्स/एस-६/२०२१-२२टी०सी०-II, दिनांक-१७ अप्रैल, २०२३ के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक २४.०५.२०२३ को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार ०१ महिला अभ्यर्थी को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू० ४४९००-१४२४०० (लेवल-७) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैं:-

### महिला अभ्यर्थी

| S.No | Applicant Name | Applicant Father Name | Applicant Category | Allotted Medical College      |
|------|----------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1    | SHEELA DEVI    | RAJENDRA PRASAD PATEL | OBC                | MLN MEDICAL COLLEGE PRAYAGRAJ |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
  - यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-३२६८/२०२२ प्रज्ञा व ४ अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-१८१५/२०२२ प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-३३८४/२०२२ विजय कुमार व ५ अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व ३ अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-१४१९२/२०२२ विनीता पाल व २४ अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व ३ अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
  - नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
  - उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-२०१६ एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परीवीक्षा नियमावली के नियम-४ के अन्तर्गत परीवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- (२) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-
- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
  - अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
  5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
  6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
  7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

संख्या— एम0ई0-1/2023/1737-45

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

- 1— महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2— प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग—एक।
- 3— सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 4— प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों व अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।
- 5— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, प्रयागराज को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6— वरिष्ठ कोषाधिकारी प्रयागराज
- 7— मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षा कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 8— डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करे।
- 9— सम्बन्धित अभ्यर्थी।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

*Kimjal Singh*  
( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-1/2023/

लखनऊ, दिनांक-०९ जून, 2023

## :::: नियुक्ति पत्र ::::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1701/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22टी०सी०-II, दिनांक-17 अप्रैल, 2023 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक 24.05.2023 को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार 01 महिला अभ्यर्थी को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू० 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

### महिला अभ्यर्थी

| S.No | Applicant Name | Applicant Father Name | Applicant Category | Allotted Medical College    |
|------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1    | JYOTI          | HARGYAN SINGH         | General            | LLRM MEDICAL COLLEGE MEERUT |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
  - यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
  - नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
  - उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- (2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-

- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
  5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
  6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
  7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

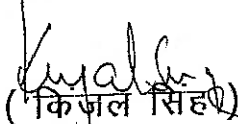
संख्या- एम0ई0-1/2023/1646-54

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।
- 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, मेरठ को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी मेरठ
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
- 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

  
( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छठा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-1/2023/

लखनऊ, दिनांक-09 जून, 2023

## :::: नियुक्ति पत्र ::::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-1701/07/स्टाफ नर्स/एस-6/2021-22 टी०सी०-II, दिनांक-17 अप्रैल, 2023 के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक 24.05.2023 को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार 01 महिला अभ्यर्थी को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू० 44900-142400 (लेवल-7) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से हृदय रोग संस्थान, कानपुर में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

### महिला अभ्यर्थी

| S.No | Applicant Name | Applicant Father Name | Applicant Category | Allotted Medical College |
|------|----------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|
| 1    | RITA           | DWARIKA PRASAD        | SC                 | LPS CARDIOLOGY KANPUR    |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
  - यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-3268/2022 प्रज्ञा व 4 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-1815/2022 प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-3384/2022 विजय कुमार व 5 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-14192/2022 विनीता पाल व 24 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 3 अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
  - नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
  - उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2016 एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परीक्षा नियमावली के नियम-4 के अन्तर्गत परीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- (2) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-
- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
  - अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।
  - गोपनीयता का प्रमाण पत्र।

4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
  5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
  6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
  7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

( किंजल सिंह )

महानिदेशक

संख्या- एम0ई0-1/2023/1636-44

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 4- निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।
- 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी कानपुर
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करे।
- 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

( किंजल सिंह )

महानिदेशक

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

जवाहर भवन, छाटा तल, लखनऊ (उ०प्र०)।

संख्या-एम०ई०-१/२०२३/

लखनऊ, दिनांक-०९ जून, २०२३

## :::: नियुक्ति पत्र ::::

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-१७०१/०७/स्टाफ नर्स/एस-६/२०२१-२२टी०सी०-II, दिनांक-१७ अप्रैल, २०२३ के द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में महानिदेशालय में दिनांक २४.०५.२०२३ को की गयी व्यक्तिगत काउंसिलिंग के आधार पर निम्नलिखित विवरणानुसार ०१ महिला अभ्यर्थी को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू० ४४९००-१४२४०० (लेवल-७) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में सीधी भर्ती के सापेक्ष स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

### महिला अभ्यर्थी

| S.No | Applicant Name | Applicant Father Name | Applicant Category | Allotted Medical College  |
|------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| 1    | YASHODA        | LATE D K JOSHI        | General            | S.N. MEDICAL COLLEGE AGRA |

- सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्टाफ नर्स के पद/पुनरीक्षित मैट्रिक्स के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
  - यह नियुक्ति, रिट याचिका संख्या-३२६८/२०२२ प्रज्ञा व ४ अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, याचिका संख्या-१८१५/२०२२ प्रीति पटेल व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-३३८४/२०२२ विजय कुमार व ५ अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व ३ अन्य तथा रिट ए याचिका संख्या-१४१९२/२०२२ विनीता पाल व २४ अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व ३ अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
  - नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
  - उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-२०१६ एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के सुसंगत शासनादेशों के प्राविधानों के अधीन होगी तथा परीक्षा नियमावली के नियम-४ के अन्तर्गत परीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
  - सम्बन्धित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।
- (२) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने होंगे:-

- दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी, जो सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र।
- अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किए जाने के सम्बन्ध में एक शपथपत्र।

3. गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  4. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।
  5. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।
  6. किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पदच्युत न किए जाने या न हटाये जाने का घोषणा पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर।
  7. भारत के संविधान के प्रति आस्था एवं प्रतिज्ञा का घोषणा पत्र।
- (3) जिन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है, वे सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त सम्बन्धित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (4) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।
- (5) किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत व्यवसाय या अन्य नौकरी/अंशकालिक नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी।

( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

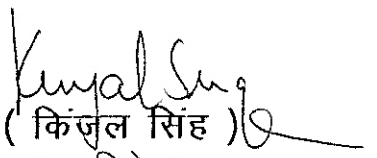
संख्या- एम0ई0-1/2023/1626-34

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-एक।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, **आगरा** को लोक सेवा आयोग से प्राप्त 01 अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को मूलरूप में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का अपने स्तर से सत्यापन कराने का कष्ट करें।
- 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, **आगरा** को इस आशय से कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, **आगरा** को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी **आगरा**
- 7- मुख्य चिकित्साधिकारी, **आगरा** को इस आशय से प्रेषित कि अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।
- 8- डा0 बी0डी0 सिंह, सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत नियुक्ति पत्र को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
- 9- सम्बन्धित अभ्यर्थी।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

  
( किंजल सिंह )  
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट